



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2721 / SEIAA/2022

Date: 5/1/22

प्रति,

श्री नरेश धाकड़,

आत्मज श्री गिरवरलाल धाकड़,

निवासी-, 145, एम.एस. रोड़

जौरा ब्लॉक के सामने वार्ड नं. 02 तहसील जौरा,

जिला -मुरैना (म.प्र.) - 476221

**विषय:-प्रकरण क्र. 8748/2021** : परियोजना प्रस्तावक श्री नरेश धाकड़ आत्मज श्री गिरवरलाल धाकड़, निवासी-, 145, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने, वार्ड नं. 02 तहसील जौरा, जिला मुरैना (म. प्र.)-476221 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता गिट्टी 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष खण्डा 3037 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 2667 ग्राम परसोटा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 695 वी बैठक दिनांक 09.12.2021 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया .....

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार परगना जौरा के पत्र क्र. 3067 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, प्राकृतिक जल स्रोत नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 290 मीटर की दूरी पर नहर, एवं 90 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला होना परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त खनिज अधिकारी के पत्र क्र 894 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार श्री सुभाष धाकड़ आत्मज श्री नरेश धाकड़, निवासी-, वार्ड नं. 02, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने तहसील जौरा, जिला मुरैना 3.00 हेक्टेयर की खदान भी स्थित है।

अतः उपरोक्त परिदृश्य के दृष्टिगत पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए प्रस्तावित खदान का विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार से तैयार करवाई जाये जिसमें कि 500 मीटर की परिधि में रहवासियों के सुझाव भी अनिवार्यतः सम्मिलित किये जाये। उपरोक्त निर्णित कार्यवाही का परिपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिवस की अवधि में पूर्ण कर प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाये। निर्णय की प्रति सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी प्रेषित की जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित खदान का विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार से तैयार करवाकर 30 दिवस के अंदर सिया कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

olc

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 2722 /SEIAA/2022

दिनांक - 5/1/22

प्रतिलिपि :-

सदस्य सचिव, SEAC पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल-462016 (म.प्र.), की ओर कृपया सूचनार्थ।

olc

प्रभारी अधिकारी